न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 595/2018

प्रार्थीगणः—
1. खीमाराम पुत्र श्री नारायणजी, जाति भाट, निवासी नया गांव, तहसील पाली, जिला पाली (राज.)

बनाम अप्रार्थीगणः—
1. राज्य सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार, पाली,

उपस्थितिः—
1. श्री राजूराम पंवार, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री केशरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)

प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,

—:निर्णयः— दिनांक 28/02/2020

1- प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने एक वाद अंतर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट का श्रीमान के न्यायालय मे विरूद्ध अप्रार्थी पेश किया है। जिसमे वर्णित तथ्यों एवं आधारों को देखते हुए वाद प्रथम दृष्टया सफल होने योग्य है। तहसील पाली के ग्राम इन्द्रानगर के खसरा नम्बर 456 रकबा 6 बीघा किस्म बी ा पर प्रार्थी एवं उसके पूर्वजो का संवत् 2042 से पूर्व से ही कब्जा काश्त निर्बाध चला आ रहा है। प्रार्थी विवादित आराजी पर स्वतंत्र रूप से अपना कृषि कार्य करता आ रहा है तथा विवादित आराजी को कृषि योग्य बनाने मे काफी धन,श्रम, व समय लगाया है। भूमि को कृषि योग्य बनाया है। प्रार्थी का विवादित आराजी पर कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। जिसकी स्वयं अप्रार्थी भी ताईद करता है। चुकि विवादित आराजी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज नहीं है इसलिए अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार, पाली द्वारा प्रार्थी को बार बार धारा 91 एल. आर. एक्ट के नोटिस दिये जा रहे है। अभी हाल ही मे बारिश होने पर दिनांक 22.07.18 को विवादित आराजी पर प्रार्थी कृषि हेतु गया, तो हल्का पटवारी ने कृषि कार्य करने से मना किया एवं प्रार्थी के विरूद्ध चल रहे अंतर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट के प्रकरण का हवाला देते हुए बेदखल करने की धमकी दी। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी यह वाद प्रस्तुत कर रहा है। वाद का कारण बेदखली की धमकी देने से उत्पन्न हो चुका है। प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी मे अपनी फसल की बुवाई कर दी गई है, अब अप्रार्थी प्रार्थी का बेदखल करने की धमकी दे रहे है जिससे यदि अप्रार्थी प्रार्थी को बेदखल कर देते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा प्रार्थी का वाद भी प्रमाणित होगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें तथा अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय व प्रभाव की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमावें कि मूल वाद के निर्णय तक

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी प्रार्थना मे वर्णित आराजी पर प्रार्थी के कब्जे काश्त मे दखलदाजी नही करे, न ही अन्य से करावें। अन्य कोई अनुतोष जो प्रार्थी के पक्ष मे हो अप्रार्थी से प्रदान करावें।

2- प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3- अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं कर बहस हेतू निवेदन किया गया।

4- बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

5- विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसील पाली के ग्राम इन्द्रानगर के खसरा नम्बर 456 रकबा 6 बीघा किस्म बी II पर प्रार्थी एवं उसके पूर्वजो का संवत् 2042 से पूर्व से ही कब्जा काश्त निर्बाध चला आ रहा है। प्रार्थी विवादित आराजी पर स्वतंत्र रूप से अपना कृषि कार्य करता आ रहा है तथा विवादित आराजी को कृषि योग्य बनाने मे काफी धन,श्रम, व समय लगाया है। भूमि को कृषि योग्य बनाया है। प्रार्थी का विवादित आराजी पर कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। जिसकी स्वयं अप्रार्थी भी ताईद करता है। चुकि विवादित आराजी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज नहीं है इसलिए अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार, पाली द्वारा प्रार्थी को बार बार धारा 91 एल.आर. एक्ट के नोटिस दिये जा रहे है। अभी हाल ही मे बारिश होने पर दिनांक 22.07.18 को विवादित आराजी पर प्रार्थी कृषि हेतु गया, तो हल्का पटवारी ने कृषि कार्य करने से मना किया एवं प्रार्थी के विरूद्ध चल रहे अंतर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट के प्रकरण का हवाला देते हुए बेदखल करने की धमकी दी। प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी मे अपनी फसल की बुवाई कर दी गई है, अब अप्रार्थी प्रार्थी का बेदखल करने की धमकी दे रहे है जिससे यदि अप्रार्थी प्रार्थी को बेदखल कर देते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा प्रार्थी का वाद भी प्रमाणित होगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें तथा अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय व प्रभाव की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमावें कि मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थी प्रार्थना मे वर्णित आराजी पर प्रार्थी के कब्जे काश्त मे दखलदाजी नही करे, न ही अन्य से करावें।

6- सरकारी पैरोकार ने बहस के द्वौरान निवेदन किया किया कि अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये स्थगन आदेश हेतु तीन तत्व प्राईमाफेसाई केस, सुविधा का संतुलन एवं अकथनीय हानि होने के स्थिति मे दिया जा सकता है। यदि किसी प्रकरण मे उक्त तीनों बिन्दु मे से एक भी बिन्दु मिसिंग रहता है तो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही सकती है।

7- बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया पत्रावली का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। वकील

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे प्रतित हो की अप्रार्थीगण द्वारा दखल अंदाजी एवं माठ पर कब्जा करना चाहते है। जिससे कोई प्रार्थी को नुकसान हो।

8- उपरोक्त विवेचन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाये जाते है। प्रार्थी ने ऐसे कोई साक्ष्य,सबूत,दस्तावेज इत्यादि पेश नहीं किये जिससे सिद्ध हो जाये की प्रार्थी को कोई हानि/नुकसान हो रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी किया जावे।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.03.19 17:54:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: